04.05.2026 को सुरक्षित

03.08.2026 को पारित

2026:AHC: 161035

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 415/1987

राधे श्याम और एक अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : दुष्यंत कुमार, ए.बी.एल. गौड़

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 91

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. वर्तमान आपराधिक अपील पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 363 वर्ष 1985 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.02.1987 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 राधेश्याम को धारा 376, 420, 495 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत 4 वर्ष के कठोर कारावास; धारा 420 भा.द.सं. के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 495 भा.द.सं. के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि अपीलार्थी संख्या 2 जय राम को धारा 420 भा.द.सं. के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 495/109 भा.द.सं. के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

2. वर्तमान आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 2 जय राम की मृत्यु हो गई है, इसलिए, अपीलार्थी संख्या 2 की ओर से अपील उपशमित हो गई है। वर्तमान अपील केवल एकमात्र अपीलार्थी संख्या 1 अर्थात् राधेश्याम के लिए निर्णीत की जा रही है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3\. अभियोजन की कहानी के अनुसार, शिकायतकर्ता, श्रीमती मुन्नी देवी (पी.डब्ल्यू.-1) अपने वृद्ध दादा और अपने चाचा, नानक चंद (पी.डब्ल्यू.-2) की देखरेख में थी। चूंकि उसके दादा की आयु अधिक हो गई थी, इसलिए उसका परिवार जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहता था। 20.01.1984 को, अभियुक्त जय राम ने भगवती प्रसाद और हसन अली की उपस्थिति में नानक चंद से संपर्क किया, और यह दर्शाया कि उसका भतीजा, अभियुक्त राधेश्याम, अविवाहित है, एक बुनाई कारखाने में कार्यरत है, 900 रुपये प्रति माह कमाता है और कई संपत्तियों का स्वामी भी है। इसे सच मानते हुए, नानक चंद, उपर्युक्त गवाहों के साथ मेरठ में राधेश्याम के आवास पर गए, जहां उसने दोहराया कि वह अविवाहित है और दुल्हन के साथ शादी करने के लिए तैयार है। इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता का परिवार शादी के लिए सहमत हो गया। सगाई और 'लगन' की रस्में 17.02.1984 को की गईं, जिसके दौरान अभियुक्त को नकद, कपड़े, मिठाइयाँ और अन्य पारंपरिक उपहार भेंट किए गए। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता और अभियुक्त राधेश्याम के बीच 23/24.02.1984 की दरमियानी रात को हिंदू रीति-रिवाजों और रस्मों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात, शिकायतकर्ता मेरठ में अभियुक्त राधेश्याम के वैवाहिक घर गई, जहां उसके द्वारा लाए गए सभी सामान और उपहार घर के अंदर ले जाए गए। लगभग चार दिनों के उसके प्रवास के दौरान, अभियुक्त ने उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। बाद में, शिकायतकर्ता को पता चला कि घर में रहने वाली एक अन्य महिला, वास्तव में, अभियुक्त राधेश्याम की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी, इस प्रकार यह खुलासा होने पर, कि अभियुक्त ने कपटपूर्वक अपनी वर्तमान पहली शादी को छिपाया था और शिकायतकर्ता के साथ विवाह संपन्न किया था, उसने इस तरह के धोखे के संबंध में अभियुक्त से सवाल किया, इस पर अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि यदि वह सच्चाई का खुलासा करेगी तो, वह उसे जान से मार देगा। बुलंदशहर लौटने पर, उसने शुरू में डर के कारण तथ्यों को उजागर करने से परहेज किया लेकिन, जब अभियुक्त उसे वापस ले जाने आया, तो उसने अपने दादा और चाचा को पूरी घटना का खुलासा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

किया। दहेज के सामान और अन्य उपहारों की वापसी प्राप्त करने के उनके प्रयासों के बावजूद, अभियुक्त ने इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को एक विधिक नोटिस दिया जिसमें निवारण की मांग की गई, लेकिन अभियुक्त ने सामान लौटाए बिना या गलती को सुधारे बिना केवल क्षमा मांगी।

4. 19.01.1985 को, शिकायतकर्ता श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र के आधार पर, धारा 200 द.प्र.सं. के अंतर्गत श्रीमती मुन्नी देवी का बयान और धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत भगवती प्रसाद और नानक चंद के बयान भी दर्ज किए गए।

5. तत्पश्चात, 11.04.1985 को, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा मुन्नी देवी, नानक चंद और भगवती प्रसाद के बयान दर्ज किए गए।

6. अभियुक्त/अपीलार्थी के परीक्षण के पश्चात, अपर सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर द्वारा 01.02.1986 को अभियुक्त/अपीलार्थी राधेश्याम के विरुद्ध धारा 376, 420 और 495 भा.द.सं. के अंतर्गत तथा अभियुक्त/अपीलार्थी जय राम के विरुद्ध धारा 109 के साथ पठित धारा 420 और 495 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जिन्हें अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया और समझाया गया, जिस पर उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

7. विचारण में अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया है:-

अभियोजन गवाह	गवाहों के नाम	सिद्ध किया गया प्रपत्र	भूमिका
पी.डब्ल्यू. 1	मुन्नी देवी	एफ.आई.आर. संस्करण का समर्थन किया	शिकायतकर्ता
पी.डब्ल्यू. 2	नानक चंद	अभियोजन की कहानी का समर्थन किया	तथ्य का गवाह/ शिकायतकर्ता के चाचा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version Not For legal Use.

अभियोजन गवाह	गवाहों के नाम	सिद्ध किया गया प्रपत्र	भूमिका
पी.डब्ल्यू. 3	भगवती प्रसाद	अभियोजन की कहानी का समर्थन किया	तथ्य का गवाह
पी.डब्ल्यू. 4	गंगा सरन	अभियोजन की कहानी का समर्थन किया	तथ्य का गवाह/ शिकायतकर्ता के दादा

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के पश्चात, अभियुक्तों के बयान धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए। अभियुक्त/अपीलार्थी राधेश्याम ने अपने बयान में कहा है कि उसने मेरठ में मिलने पर भगवती प्रसाद और हसन अली को अपनी पहली शादी के तथ्य का खुलासा किया था और उन्हें अपनी पिछली शादी के विघटन (तलाक) का विलेख भी दिखाया था। सगाई के समय, उसने फिर से अपनी पिछली शादी के तथ्य का खुलासा किया था और उन्हें सूचित किया था कि वह एक तलाकशुदा है। उसने आगे कहा कि वह बुलंदशहर में किसी से नहीं मिला था। उसके बचाव में, मलखान का डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षण किया गया है, जिसने कहा है कि 1976 में, श्रीमती कृष्णा देवी और राधे लाल ने विवाह किया था लेकिन उनके संबंध स्थिर नहीं थे, इसलिए, कृष्णा देवी ने एक याचिका दायर की और एक वर्ष के बाद, वे समझौते पर आ गए। उसने यह भी कहा कि समझौते पर उसके और जगदीश द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उसने आगे जोड़ा कि उनकी जाति में एक प्रथा है कि पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपित अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया, और तदनुसार उसे सजा सुनाई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर, अभियुक्त-अपीलार्थी ने वर्तमान आपराधिक अपील प्रस्तुत किया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दुष्यंत कुमार, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. सुश्री हर्षिता रानी को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण श्री विमलेंदु त्रिपाठी और सुश्री वत्सला ने भी इस वाद में न्यायालय की सहायता किया है।

<u>अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से तर्क</u>

11\. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को एक साथ धारा 376 और 495 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है, क्योंकि अपीलार्थी इस सद्भावनापूर्ण विश्वास में था कि उसका पिछला विवाह पहले ही भंग हो चुका था और वह बाद का विवाह करने के लिए विधिक रूप से सक्षम था। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपनी पिछली शादी के विघटन का विलेख प्रस्तुत किया था, जो उसके इस सद्भावनापूर्ण विश्वास का समर्थन करता है कि वह तलाकशुदा था, इसलिए, उसने स्वयं को बाद की शादी में प्रवेश करने का हकदार पाया। इस प्रकार, उसकी ओर से कोई जानबूझकर किया गया छिपाव या कपटपूर्ण आशय नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय को उपरोक्त प्रावधानों की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय इस तात्विक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए था।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने सगाई से पहले और साथ ही सगाई के समय, संबंधित व्यक्तियों को अपनी पिछली शादी के तथ्य का स्पष्ट रूप से खुलासा किया था। विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने भगवती प्रसाद (पी.डब्ल्यू.-3) और हसन अली को अपनी पूर्व शादी के बारे में सूचित किया था और उन्हें अपनी पिछली शादी के विघटन से संबंधित दस्तावेज भी दिखाया था। इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से तथ्य का कोई छिपाव या दमन नहीं किया गया था।

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन और विवेचन करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है और अपीलार्थी के पक्ष में प्रकट होने वाले तात्विक विरोधाभासों और परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एकमात्र जीवित अपीलार्थी की आयु वर्तमान में लगभग 72 वर्ष है और वर्तमान आपराधिक अपील

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

पिछले 39 वर्षों से लंबित है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

<u>राज्य की ओर से तर्क</u>

15. राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि धारा 376 और 495 भा.द.सं. की प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जहां धारा 495 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध बनता है, वहां धारा 376 भा.द.सं. के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाएगा। विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर, दोनों अपराधों के तत्व विधिवत आकर्षित होते हैं। विद्वान ए.जी.ए. ने **आतम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2018 एस.सी.सी. ऑनलाइन एच.पी. 1348 और भूपिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, (2008) 8 एस.सी.सी. 531** के वाद के निर्णय पर भरोसा किया है।

16. विद्वान ए.जी.ए. ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने सगाई से पहले या सगाई के समय अभियोक्त्री या उसके परिवार के सदस्यों को अपनी पूर्व शादी के तथ्य का खुलासा नहीं किया था। यह दलील कि पूर्व विवाह के तथ्य का खुलासा भगवती प्रसाद (पी.डब्ल्यू.-3) और हसन अली को किया गया था, अभिलेख पर उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

17. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी और श्रीमती कृष्णा देवी के बीच तलाक हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी होना नहीं दिखाया गया था। इसलिए, पिछली शादी के विघटन को विधि की दृष्टि में एक वैध तलाक नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा अपनी पिछली शादी के अस्तित्व के दौरान संपन्न की गई बाद की शादी धारा 495 भा.द.सं. के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करती है, जबकि अभिलेख पर स्थापित परिस्थितियां धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी बनाती हैं। विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया है और उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थी को सही ढंग से दोषसिद्ध किया है।

<u>प्रेक्षण</u>

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

18. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात, प्रारंभ में ही, यह न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और सिद्ध किए गए साक्ष्य का परीक्षण करना उचित समझता है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए विवाह के विघटन के विलेख को विधि के प्रावधानों के अनुसार तलाक की वैध डिक्री नहीं माना जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि, धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, अभियुक्त/अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि उसकी पिछली शादी के विघटन से संबंधित कार्यवाहियां वर्ष 1979 में लड़ी गई थीं। यह परिस्थिति इंगित करती है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को पता था कि एक हिंदू विवाह का विघटन विधि द्वारा शासित मामला था और इसके लिए विधिक मान्यता की आवश्यकता थी। हालांकि, किसी सक्षम न्यायालय या किसी अन्य विधिक रूप से स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा पारित तलाक की कोई डिक्री, जो उसकी पिछली शादी के विघटन को स्थापित करती हो, बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाई गई है। यद्यपि अभियुक्त/अपीलार्थी ने दलील दी कि उसने अपनी पूर्व शादी के तथ्य का खुलासा किया था, लेकिन अभिलेख पर यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि इस तरह का खुलासा बाद की शादी से पहले शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को किया गया था।

19. इसके अलावा, अभिलेख से प्रकट होने वाली परिस्थितियां इंगित करती हैं कि अभियुक्त/अपीलार्थी को पता था कि उसकी पिछली शादी विधिक रूप से भंग नहीं हुई थी। इस तरह के ज्ञान के बावजूद, उसने अपनी पिछली शादी के अस्तित्व का खुलासा किए बिना बाद की शादी की और उसके बाद बाद की पत्नी के साथ सहवास किया। इसलिए, सद्भावनापूर्ण विश्वास की दलील स्वीकृत परिस्थितियों और तलाक की किसी भी विधिक रूप से वैध डिक्री की अनुपस्थिति को देखते हुए विश्वास पैदा नहीं करती है। अभियुक्त/अपीलार्थी का उक्त आचरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के साथ मिलकर, धारा 376 और 495 भा.द.सं. के अंतर्गत उसके विरुद्ध अभिकथित अपराधों के तत्वों का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक है।

20. इस स्तर पर, धारा 376 और 495 भा.द.सं. के प्रासंगिक प्रावधानों का परीक्षण करना और यह विचार करना आवश्यक होगा कि क्या वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, उक्त अपराधों के आवश्यक तत्व संतुष्ट होते हैं। उक्त प्रावधानों को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

धारा 376. *बलात्कार के लिए दंड।*

(1) जो कोई, उप-धारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्कार करेगा, उसे दोनों में से किसी भी भांति के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि [दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा] (अधिनियम 22 वर्ष 2018, धारा 4 द्वारा "सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित)

(2) जो कोई,-

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए, बलात्कार करेगा-(i) उस पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर जहां ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है; या (ii) किसी थाना भवन के परिसर में; या (iii) ऐसी महिला पर जो ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, किसी महिला पर जो ऐसे लोक सेवक की हिरासत में है या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की हिरासत में है, बलात्कार करेगा; या

(ग) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए ऐसे क्षेत्र में बलात्कार करेगा; या

(घ) जेल, रिमांड होम या उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी अन्य हिरासत स्थल या किसी महिला या बाल संस्था के प्रबंधन या कर्मचारियों में होते हुए, ऐसी जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था की किसी निवासिनी पर बलात्कार करेगा; या

(ङ) अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारियों में होते हुए, उस अस्पताल में किसी महिला पर बलात्कार करेगा; या

(च) महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होते हुए, या महिला के प्रति विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में कोई व्यक्ति होते हुए, ऐसी महिला पर बलात्कार करेगा; या

Translated Version. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार करेगा; या

(ज) किसी महिला के गर्भवती होने की जानकारी होते हुए उस पर बलात्कार करेगा; या

(झ) किसी महिला पर तब बलात्कार करेगा जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की हो; या

(ञ) सहमति देने में अक्षम महिला पर बलात्कार करेगा; या

(ट) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होते हुए, ऐसी महिला पर बलात्कार करेगा; या

(ठ) मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित महिला पर बलात्कार करेगा; या

(ड) बलात्कार करते समय घोर शारीरिक क्षति कारित करेगा या किसी महिला को अपंग बनाएगा या विद्रूप करेगा या उसके जीवन को खतरे में डालेगा; या

(ढ) एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करेगा,

उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण. - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "सशस्त्र बल" का अर्थ है नौसेना, सैन्य और वायु सेना और इसमें उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य शामिल है, जिसमें अर्धसैनिक बल और कोई भी सहायक बल शामिल हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं;

(ख) "अस्पताल" का अर्थ है अस्पताल का परिसर और इसमें स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों या चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए किसी भी संस्था का परिसर शामिल है;

(ग) "पुलिस अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 (5 वर्ष 1861) के अंतर्गत "पुलिस" अभिव्यक्ति को सौंपा गया है;

Translated Version. Not For legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

(घ) "महिला या बाल संस्था" का अर्थ है एक संस्था, चाहे उसे अनाथालय कहा जाए या उपेक्षित महिलाओं या बच्चों के लिए घर या विधवा घर या किसी अन्य नाम से पुकारी जाने वाली संस्था, जो महिलाओं या बच्चों के स्वागत और देखभाल के लिए स्थापित और अनुरक्षित की जाती है।

(3) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्कार करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा: बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्चों और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा के अंतर्गत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़िता को भुगतान किया जाएगा।

***धारा 495.** वही अपराध, उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाते हुए जिसके साथ बाद का विवाह किया जाता है।*

जो कोई अंतिम पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध को उस व्यक्ति से जिससे बाद का विवाह किया जाता है, पूर्व विवाह के तथ्य को छिपाकर करेगा, तो उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

21. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि दोनों अपराध प्रकृति में भिन्न हैं, एक पूर्व विवाह के तथ्य को छिपाने से संबंधित है और दूसरा इस तरह का छिपाव करके यौन संबंध स्थापित करने से संबंधित है। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित करता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से अपनी पूर्व शादी के तथ्य को छिपाया था और, ऐसे छिपाव के आधार पर, उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। इस प्रकार, इस स्तर पर, दोनों अपराधों के आवश्यक तत्व विधिवत संतुष्ट होते हैं।

22. इसके अतिरिक्त, अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने शिकायतकर्ता को अपनी पिछली शादी के तथ्य का खुलासा किया था। बचाव

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For legal Use.

पक्ष के गवाह ने भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा। यद्यपि, अभियुक्त/अपीलार्थी ने एक प्रथा के अस्तित्व के संबंध में दलील ली है, लेकिन उक्त प्रथा को स्थापित करने के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। 'प्रथा को सिद्ध करने के लिए, आकांक्षी को यह सिद्ध करना होगा कि प्रथा को न केवल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी, बल्कि यह पिछले कई वर्षों से अभी भी अस्तित्व में है, या इसे कभी न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई थी।' **राम कृपाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन एम.पी. 22161** के वाद के निर्णय पर भरोसा किया जाता है। इस प्रकार, उक्त बचाव पूरी तरह से निराधार रहता है। विवाह विघटन विलेख के संदर्भ में भी दलील ली गई थी, लेकिन तलाक केवल तलाक के नोटरीकृत समझौते के निष्पादन पर नहीं हो सकता है। **जतीना समीर शाह नी जतीना रसिकलाल ठक्कर बनाम समीर मोहित शाह, 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम 987** के वाद में निर्णय पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

> **"6.** ....यह ध्यान देने योग्य है कि केवल इसलिए कि मूल प्रार्थना पत्र के साथ एक समझौता प्रस्तुत किया गया था, जो यह दर्शाता है कि इस संबंध में एक समझौते में प्रवेश करके विवाह भंग कर दिया गया है, इसे कभी भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि पर विवाह अस्तित्व में नहीं था। पति-पत्नी किसी भी प्रकार के समझौते में प्रवेश करके अपने आप विवाह भंग नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार के समझौते को विधि के न्यायालय द्वारा तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि न्यायालय के समक्ष संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, कि प्रथा के आधार पर, उनके द्वारा एक प्रथागत तलाक प्राप्त किया गया है। वर्तमान वाद में, परिवार न्यायालय ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि किसी भी प्रथा के आधार पर ऐसे समझौते में प्रवेश करके विवाह विधिक रूप से भंग कर दिया गया था। जब तक इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया समझौता केवल कागज के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था जिसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। इस तरह के समझौते में प्रवेश करके, किसी विवाह को कभी भी किसी भी तरह से भंग नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, हमारे विचार में, विद्वान न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है कि पक्षकारों के बीच समझौते के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र दाखिल करने के समय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच कोई अस्तित्व में विवाह नहीं था और यह कि इस प्रार्थना पत्र को दाखिल करने के समय ऐसा विवाह भंग हो गया था। न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी समझौते को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि पर ऐसे समझौते के बावजूद विवाह अस्तित्व में था। किसी भी विवाह को इस प्रकार के समझौते में प्रवेश करके भंग नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि न्यायालय के समक्ष उचित साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए जो यह दर्शाता हो कि समुदाय में प्रचलित प्रथा को देखते हुए, प्रथागत तलाक के माध्यम से पक्षकारों के बीच एक विवाह को भंग किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए विवाह को अस्तित्व में कहा जा सकता है और यह प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि पर हो सकता है और ऐसे विवाह को केवल सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करके ही भंग किया जा सकता है। इस संबंध में, (2005) 2 एस.सी.सी. 33 : ए.आई.आर. 2005 एस.सी. पृष्ठ 422 में प्रतिवेदित रमेश चंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेश चंद्र डागा के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तर-12 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "एक हिंदू विवाह को केवल न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही भंग किया जा सकता है। न्यायालय से विवाह के विघटन की किसी डिक्री के अभाव में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विधि में पत्नी की पहली शादी अस्तित्व में थी जब उसने वर्तमान पति के साथ दूसरी शादी किया।"

"7. सुब्रमणि बनाम एम. चंद्रलेखा, (2005) 9 एस.सी.सी. 407: ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 485, जो उसी खंड में प्रतिवेदित वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तर संख्या 15 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "ऐसी प्रथा तलाक के सामान्य विधि का अपवाद होने के कारण ऐसी प्रथा का प्रस्ताव करने वाले पक्ष द्वारा विशेष रूप से दलील दी जानी चाहिए और स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि तलाक की उक्त प्रथा देश की विधि के विपरीत है और जो, यदि सिद्ध नहीं होती है, तो सार्वजनिक नीति के विपरीत एक प्रथा होगी"।"

23. इस वाद का एक अन्य पहलू यह है कि अपीलार्थी की आयु लगभग 72 वर्ष है और वर्तमान आपराधिक अपील पिछले 39 वर्षों से लंबित है। यदि, मैं एकमात्र जीवित अपीलार्थी की आयु और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्णित उसके स्वास्थ्य को देखूं, तो यह न्यायालय पाता है कि यह न्याय की विफलता नहीं होगी, यदि 70 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जिसने कारावास की कुछ अवधि भुगती है, उसे कारागार में निरुद्धी की एक और अवधि काटने के लिए न कहा जाए। इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सजा पर इस सीमित तर्क पर, मैं एतद्द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे दी गई सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि तक कम करने के लिए सहमत हूं।

24. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर द्वारा पारित अभियुक्त/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश दिनांक 07.02.1987 को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

25. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान न्याय मित्र श्री दुष्यंत कुमार ने न्यायालय को अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। उन्हें वर्तमान अपील की सुनवाई में उनके द्वारा प्रदान की गई योग्य सहायता के लिए उनके शुल्क के रूप में 15,000/- रुपये का भुगतान किया जाए।

26. आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों के साथ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए। अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया जाता है।

27. न्यायालय विद्वान अधिवक्तागण श्री विमलेंदु त्रिपाठी, सुश्री वत्सला और शोध सहयोगी सुश्री कृतांशी श्रीवास्तव के निष्ठावान प्रयासों और बहुमूल्य सहायता को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

03 अगस्त, 2026/पी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”